न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारी:— डॉ. अशोक कुमार RAS

अपील संख्या : 34 / 2019

शिशपाल पुत्र श्री सोहनलाल, निवासी—चरण नदी द्वितीय, मीणों की ढाणी, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, चौमू, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।

रेस्पोडेंट,

(अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय विहित प्राधिकृत अधिकारी, तहसीलदार, चौमू, निर्णय दिनांक 26.02.2016 क्रमांक तराले / 2016 / 60—64)

उपस्थितः—

1. श्री विजय कुमार शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पेरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 26.02.2020**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा ग्राम विजयसिंहपुरा, तहसील—चौमू स्थित ख0नं0 575 रकबा 0.2490 है0 एवं 1113 / 575 रकबा 0.08 है0 भूमि मे से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की गई 2500 वर्ग मीटर भूमि को तहसीलदार द्वारा उनके कार्यालय द्वारा जारी रूपान्तरित आदेश दिनांक 10.11.2015 को आदेश दिनांक 26.02.2016 द्वारा विधि विरूद्ध रूप से निरस्त किये जाने के कारण पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर रेस्पोडेन्ट को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार, चौमू से वादग्रस्त प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली प्राप्त की गई।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी।

अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार, चौमू द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नही किया ना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुना गया। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार, चौमू द्वारा जो कारण अंकित किया है उसमें दिल्ली—जयपुर द्रुतगामी मार्ग में भूमि अवाप्त होना जाहिर किया है। जबकि इस प्रकार की कोई अवाप्ति अपीलाधीन भूमि के संबंध में आदिनांक तक भी नही की गई है। जयपुर—दिल्ली द्रुतगामी मार्ग की अवाप्ति के संबंध में किसी प्रकार की सार्वजनिक सूचना जारी नही हुई है। भूमि अवाप्ति के संबंध में भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 2, 3, 4, 5 की पालना में बिना भूमि को अवाप्त नही माना जा सकता। केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं अन्देशें के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किया जावें।

समपरिवर्तन आदेश जारी किये जाने के पश्चात् बिना सूचना दिये हुए तहसीलदार, चौमू द्वारा दिनांक 26.02.2016 को समपरिवर्तन आदेश निरस्त कर दिया

जिसकी जानकारी प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही हुई है। जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.08.2019 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया दिनांक 28.08.2019 को नकल प्राप्त होने पर अपील श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर जानकारी तिथी से अपील को अन्दर मियाद शुमार करते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

हमनें पेरोकार सरकार की बहस सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि का आदेश पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर संभावित जयपुर–दिल्ली द्रुतगामी मार्ग के कारण तहसीलदार, चौमू द्वारा दिनांक 26.02.2016 जारी किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार, चौमू से प्राप्त मूल पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार, चौमू द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2016 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील को जानकारी तिथी से अन्दर मियाद मानते हुए अपीलार्थी का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

उक्त विवचेनानुसार तहसीलदार, चौमू से प्राप्त हस्तगत प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार, द्वारा मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर रूपान्तरण आदेश दिनांक 10.11.2015 निरस्त किया गया है। भूमि रूपान्तरण पत्रावली में भूमि अवाप्ति से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी राजपत्र की प्रति संलग्न नही है। तहसीलदार, चौमू द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि जयपुर–दिल्ली द्रुतगामी मार्ग में अवाप्तिधीन की रिपोर्ट के आधार पर रूपान्तरण आदेश निरस्त किया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि पर कार्यवाही करने से पूर्व बिना किसी ठोस आधार के राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/परिपत्र/आदेश/राज पत्र में जारी सूचना के बिना वादग्रस्त भूमि का रूपान्तरण निरस्त किया गया है जो कि विधि विरूद्ध है। आदेश को निरस्त करने से पूर्व अपीलार्थी को सुना जाना भी आवश्यक था, परन्तु तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को बिना सुने ही संपरिवर्तन आदेश को निरस्त कर दिया, जो कि विधि विरूद्ध है। अतः तहसीलदार चौमू द्वारा जारी आदेश क्रमांक तराले/16/60–64 दिनांक 26.02.2016 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार, चौमू को प्रकरण इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्ट को पुनः सुनकर विधि अनुरूप निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले इजलास आज दिनांक 26.02.2020 को सुनाया गया।

26.2.20

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर